



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

क्रमांक:हि.शि.बो./38/संबद्धता-2018 -19 / 14801

दिनांक:

5-3-2018

‘संबद्धता आदेश’

HEADMASTER/PRINCIPAL

D.A.V. PUBLIC SCHOOL,

SHOGHI

District: SHIMLA,

(H.P.) Pin Code 173219

संबद्धता कोड नं०: 24592

रकूद का कोड नं० : 3833

आपके संबद्धता आवेदन के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा विनियम, 1992 सशोधित 2009 के अन्तर्गत आपके संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कक्षा 9th-10th (c) हेतु अस्थाई संबद्धता निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है:-

1. ~~अभ्यर्थक तथा जनों की शर्तों के लिए संबद्धता (Arts/Science/Commerce) के अन्तर्गत~~
7 तथा 8 पर (Patched) चिह्नित किये गये विषयों को स्वीकार होगा।
शिक्षण संस्थान उन्ही पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ाने के लिए बाध्य होगा जो हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है।
शिक्षण संस्थान संबद्धता विनियम की धारा-11 के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
2. ~~बोर्ड के किसी भी अधिकारी द्वारा अकस्मात निरीक्षण करने पर यदि यह पाया गया कि निर्धारित पुस्तकों के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तकें पढ़ाई जा रही है या कोई अनियमितता पाई गई तो संबद्धता रद्द कर दी जाएगी।~~
3. ~~यदि कोई शिक्षण संस्थान संबद्धता विनियम का दुरुता से पालन नहीं करता तो सभम अधिकारी को संबद्धता वापिस लेने/रद्द करने का अधिकार होगा।~~
4. ~~संस्थान संबद्धता नियम 16.7.2 (घ) के अनुसार ही छात्रों का दाखिला अपने संस्थान में करेगा, यदि इस नियम को अनुपालना न की गई तो संबद्धता रद्द की जा सकती है।~~
5. ~~(जमा एक) अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, गणित, दर्शन शास्त्र, उर्दू, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, शैक्षणिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, संस्कृत, आर्य-शास्त्र, व्यापार अध्ययन, संगीत, लोक प्रशासन, शारीरिक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी।~~
6. ~~(जमा दो) अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, गणित, दर्शन शास्त्र, उर्दू, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, शैक्षणिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, संस्कृत, आर्य-शास्त्र, व्यापार अध्ययन, संगीत, लोक प्रशासन, शारीरिक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी।~~

नोट:- माननीय उच्च न्यायालय शिमला (हि०प्र०) के निर्देशानुसार उक्त संबद्धता पत्र की एक प्रति स्कूल द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थिकों की सूचना के लिए नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है।

1. आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने संस्थान में दाखिल किये गये कक्षावार बच्चों की लिए 31 मई 2018 तक तथा अध्यापकों की सूची योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति सहित शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर इस अध्यापक की भोजनी सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा प्रदान संबद्धता को वापिस ले लिया जायेगा।
2. आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप भारत / हि० प्र० सरकार द्वारा जारी सभी विधिक प्रावधानों/ संबद्धता रेगुलेशन 1992 में निर्धारित संबद्धता मापदण्डों की अनुपालना भी सुनिश्चित करें।
3. शवन सुरक्षा प्रमाण पत्र..... तिथि एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र तिथि तब ही मान्य है इसलिए आपको इस तिथि की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर इसे जमा करवाना होगा।


राजेश राव (संबद्धता)
रूटे राविका